भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–114/2020–21

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ

आदेश

14.12.2021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक–324/रा0, दिनांक–17.11.2020 द्वारा आवेदक/बिक्रेता **श्रीमति बालेमा कुई**, पिता–**स्व० दुशाषण सुम्बरूई**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**आसनतलिया**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प0 सिंहभूम** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता **श्रीमति सुमित्रा गागराई**, पिता–**बीर सिंह गागराई**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**बाईपी**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** को भूमि क्रय–बिक्रय से संबंधित आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	थाना	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
आसनतलिया	88	–	58	1092	0.08 ए0

अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–**1168**, दिनांक–**27.11.2021** द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि विक्रेता चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं एवं क्रेता की शादी कराईकेला थाना क्षेत्रान्तर्गत हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा CNT Act की धारा 46 (1) (a) के प्रावधान अनुसार आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

CNT Act की धारा 46 (1) (a) के प्रावधान अनुसार यदि क्रेता–विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में क्रेता–विक्रेता एवं आवेदित भूमि एक ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। इस वाद में विक्रेता चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं एवं वाद भूमि भी चक्रधरपुर थाना अंतर्गत आते हैं। क्रेता की शादी कराईकेला थाना क्षेत्रान्तर्गत हुआ है। इसलिए क्रेता कराईकेला थाना क्षेत्र के निवासी मानी जायेगी।

अतएव CNT Act के प्रावधान अनुसार एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत/खारिज किया जाता है।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 15:54:07 +05:30
Location: 192.168.1.39

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।